

उत्तर प्रदेश शासन
उच्च शिक्षा अनुभाग-1
संख्या-1351/सत्तर-1-2023-20(10)/2022
लखनऊ : दिनांक : 21 नवम्बर, 2023

मुख्य ट्रस्टी,
वरुणार्जुन ट्रस्ट केशलता अस्पताल,
डेलापार बरेली, उत्तर प्रदेश

निजी क्षेत्र के अन्तर्गत शाहजहांपुर में आपके द्वारा वरुण अर्जुन विश्वविद्यालय, शाहजहांपुर, उत्तर प्रदेश प्रदेश की स्थापना के प्रस्ताव के सम्बन्ध अवगत कराना है कि प्रस्तावित विश्वविद्यालय का नाम उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (छठवां संशोधन) अध्यादेश, 2023 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 17 सन् 2023) द्वारा उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2019 की अनुसूची-2 में क्रमांक 37 पर सम्मिलित किया गया है।

इस सम्बन्ध में वरुण अर्जुन विश्वविद्यालय, शाहजहांपुर, उत्तर प्रदेश के संचालन की अनुज्ञा विषयक अधिसूचना संख्या-1350/सत्तर-1-2023-20(10)/2022 दिनांक 21 नवम्बर, 2023 प्रेषित करते हुए अपेक्षा की जा रही है कि संचालन प्राधिकार-पत्र में उल्लिखित शर्तों के अधीन ही उक्त अधिसूचना के परिप्रेक्ष्य में वरुण अर्जुन विश्वविद्यालय, शाहजहांपुर, उत्तर प्रदेश का संचालन किया जायेगा।
संलग्नक-यथोक्त।

(गिरिजेश कुमार त्यागी)
विशेष सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदेव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- (1) सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली, 110002। (secy.ugc@nic.in)
- (2) मंडलायुक्त, बरेली मण्डल।
- (3) जिलाधिकारी, शाहजहांपुर।
- (4) कुलपति/कुलसचिव, महात्मा ज्योतिबाफूले रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली।
- (5) कुलसचिव, अटल बिहारी बाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ।
- (6) निदेशक, बोर्ड आफ टेक्नीकल एजुकेशन, लखनऊ।
- (7) निजी सचिव, मुख्य सचिव/अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, वित्त विभाग/संस्थागत वित्त/न्याय विभाग/राजस्व विभाग/आवास एवं शहरी नियोजन विभाग/नगर विकास विभाग/प्राविधिक शिक्षा विभाग/चिकित्सा शिक्षा विभाग।
- (8) उच्च शिक्षा विभाग के समस्त अनुभाग।
- (9) गार्ड फाइल।



आज्ञा से.

(एस0पी0 मिश्र)
उप सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन
उच्च शिक्षा अनुभाग-1
संख्या-1350 / सत्तर-1-2023-20(10) / 2022
लखनऊ : दिनांक : 21 नवम्बर, 2023

अधिसूचना

वैकि, उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (छठवां संशोधन) अध्यादेश, 2023 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 17 सन् 2023) द्वारा यथा संशोधित, उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2019 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 12 सन् 2019) जिसे आगे 'उक्त अधिनियम' कहा गया है द्वारा वरुणार्जुन ट्रस्ट, केशलता हास्पिटल, डेलापार, बरली, उत्तर प्रदेश द्वारा प्रायोजित वरुण अर्जुन विश्वविद्यालय, शाहजहापुर, उत्तर प्रदेश नामक एक निजी विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है।

अतएव, अब, उक्त अधिनियम की धारा 7 की उप-धारा (1) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके, राज्यपाल, पूर्वोक्त विश्वविद्यालय को शाहजहापुर, उत्तर प्रदेश में वरुण अर्जुन विश्वविद्यालय, शाहजहापुर, उत्तर प्रदेश के नाम से चलाने की अनुज्ञा देती हैं।




आज्ञा से,


(एम0पी0 अग्रवाल)
प्रमुख सचिव।

**Uttar Pradesh Shiksha
Uchha Shiksha Anubhag-1**

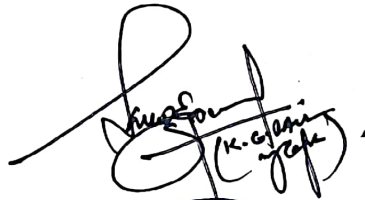
In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification no. 1350 70-1-2023-20(10)/2022 dated 21 Nov, 2023:

Notification

No. 1350 /70-1-2023-20(10)/2022
Lucknow ; Dated: 21 November, 2023

WHEREAS a private University with the name of Varun Arjun University, Shahjahanpur, Uttar Pradesh sponsored by Varunarjun Trust, Keshlata Hospital, Delaper, Bareilly, Uttar Pradesh has been established vide the Uttar Pradesh Private Universities Act, 2019 (U.P. Act no. 12 of 2019) , hereinafter referred to as the "said Act", as amended by the Uttar Pradesh Private Universities (Sixth Amendment) Ordinance, 2023 (U.P. Ordinance no.17 of 2023) ;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers under sub-section (1) of section 7 of the said Act, the Governor is pleased to permit the aforesaid University to operate with the name Varun Arjun University, Shahjahanpur, Uttar Pradesh in Shahjahanpur, Uttar Pradesh.




By order,


(M.P. Agrawal)
Pramukh Sachiv .

उत्तर प्रदेश शासन

उच्च शिक्षा अनुभाग-1

संचालन-प्राधिकार पत्र संख्या- 7 / 37 /2023

वरुण अर्जुन विश्वविद्यालय, शाहजहाँपुर, उत्तर प्रदेश।

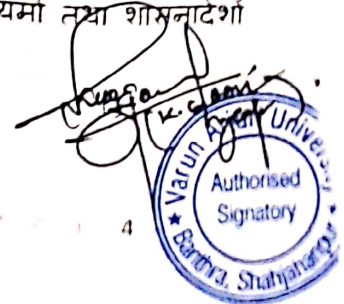
प्रायोजक संस्था- वरुणार्जुन ट्रस्ट, बरेली, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2019 के अधीन प्रायोजक संस्था वरुणार्जुन ट्रस्ट, केशलता हास्पिटल, डेलापार, बरेली, उत्तर प्रदेश द्वारा निजी क्षेत्र में वरुण अर्जुन विश्वविद्यालय, शाहजहाँपुर, उत्तर प्रदेश की स्थापना हेतु प्रस्तुत किये गये प्रस्ताव पर सम्यक् विचारोपरान्त उपरोक्त अधिनियम की धारा 6 की उप धारा (1) के अन्तर्गत शासनादेश संख्या- 512/सत्तर-1-2023-20(10)/2022, दिनांक 15 मार्च, 2023 द्वारा वरुणार्जुन ट्रस्ट, केशलता हास्पिटल, डेलापार, बरेली, उत्तर प्रदेश को आशय-पत्र निर्गत किया गया। प्रायोजक संस्था द्वारा आशय-पत्र में उल्लिखित शर्तों की पूर्ति किये जाने के सम्बन्ध में पत्र दिनांक 20.03.2023 द्वारा प्रस्तुत की गयी अनुपालन आख्या पर सम्यक् विचारोपरान्त राज्य सरकार का समाधान हो गया है कि प्रायोजक निकाय द्वारा धारा 3 के उपबंधों का अनुपालन किया गया है।

विधायी अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन की अधिसूचना संख्या-486/79-वि-1-2023-2-क-19/2023 दिनांक 20 अक्टूबर, 2023 द्वारा अधिसूचित उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (छठवां संशोधन) अध्यादेश, 2023 के माध्यम से उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2019 के साथ संलग्न अनुसूची-2 में क्रमांक-36 के नीचे क्रमांक-37 पर वरुण अर्जुन विश्वविद्यालय, शाहजहाँपुर, उत्तर प्रदेश का नाम सम्मिलित किया गया है।

अतएव उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2019 की धारा 7 की उप धारा (1) के अन्तर्गत वरुण अर्जुन विश्वविद्यालय, शाहजहाँपुर, उत्तर प्रदेश को शैक्षिक सत्र 2023-24 से संचालित करने की अनुज्ञा श्री राज्यपाल निम्नांकित शर्तों के अधीन प्रदान करते हैं-

- (1) प्रायोजक संस्था, वरुणार्जुन ट्रस्ट, केशलता हास्पिटल, डेलापार, बरेली, उत्तर प्रदेश द्वारा वरुण अर्जुन विश्वविद्यालय, शाहजहाँपुर, उत्तर प्रदेश के लिये विनियमित क्षेत्र तिलहर की सीमा के अन्तर्गत ग्राम-बंथरा तहसील-सदर जनपद-शाहजहाँपुर में प्रस्तावित की गयी 42.84 एकड़ भूमि के चारों ओर बाउण्ड्रीवाल का निर्माण करेगी। भविष्य में निजी विश्वविद्यालय की भूमि का क्षेत्रफल कम नहीं किया जायेगा तथा इसके किसी भी भू-भाग का उपयोग किसी अन्य उद्देश्य के लिये नहीं किया जायेगा। इसके अतिरिक्त आपकी संस्था द्वारा राजस्व विभाग, उत्तर प्रदेश के नियमों, अधिनियमों तथा शासनादेशों का अक्षरशः पालन किया जायेगा।



- (2) उपरोक्त प्रस्तावित भूमि पर संचालित महाविद्यालय को उनसे सम्बन्धित विश्वविद्यालयों तथा संस्थाओं से असम्बद्धीकरण कराते हुए शैक्षिक सत्र 2023-24 से महाविद्यालय के रूप में छात्रों का प्रवेश लेना बंद कर दिया जायेगा।
- (3) विश्वविद्यालय की भूमि विनियमित क्षेत्र तिलहर के क्षेत्रान्तर्गत है। विश्वविद्यालय के लिये निर्मित भवन विकास प्राधिकरण/नगर निकाय के नियमों से असंगत नहीं होगा तथा भविष्य में संभावित निर्माण के सम्बन्ध में मानचित्र स्वीकृत कराया जायेगा।
- (4) प्रायोजक संस्था द्वारा UGC (Establishment Of And Maintenance Of Standards In Private Universities) Regulations, 2003 तथा समय-समय पर UGC एवं राज्य सरकार द्वारा निर्गत आदेशों का पूर्णतया पालन किया जायेगा।
- (5) निजी विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और अन्य सम्बन्धित सांविधिक संस्था जैसे आल इण्डिया काउन्सिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, बार काउन्सिल ऑफ इण्डिया, डिस्टेंस एजुकेशन काउंसिल, डेन्टल काउंसिल ऑफ इण्डिया, इण्डियन नर्सिंग काउंसिल, मेडिकल काउंसिल आफ इण्डिया, नेशनल काउंसिल फार टीचर्स एजुकेशन, फार्मसी काउंसिल आफ इण्डिया इत्यादि समय-समय पर दिये गये कार्यक्रम, संकाय, संरचनात्मक सुविधायें, वित्तीय सबलता इत्यादि के सम्बन्ध में न्यूनतम शर्तों को पूरी करेगा।
- (6) निजी विश्वविद्यालय द्वारा प्रथम स्नातक एवं परास्नातक डिग्री/डिप्लोमा कार्यक्रम जिसमें पाठ्यक्रम संरचना, विषय-वस्तु (contents), अध्यापन एवं अधिगम प्रक्रिया, परीक्षा तथा मूल्यांकन पद्धति एवं छात्रों के प्रवेश हेतु योग्यता मानदण्ड सम्मिलित हों, के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विहित प्रारूप पर सम्पूर्ण सुसंगत सूचनायें इन पाठ्यक्रमों को प्रारंभ किये जाने से पूर्व उपलब्ध करायी जायेंगी।
- (7) प्रवेश प्रणाली एवं फीस का निर्धारण यू0जी0सी0 एवं अन्य सम्बन्धित सांविधिक संस्था के द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देश के अनुसार होगा।
- (8) यदि विश्वविद्यालय का कामकाज असंतोषजनक रहता है तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा उक्त विश्वविद्यालय को बन्द करने हेतु निर्देशित किया जायेगा, जिसका अनुपालन विश्वविद्यालय को अनिवार्यतः करना होगा। ऐसी स्थिति में पूर्व से उसमें नामांकित छात्रों के हितों को सुरक्षित किया जायेगा।
- (9) उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2019 की धारा 3 की उप-धारा (ख) में निर्दिष्ट भवन के कार्यालयों और प्रयोगशालाओं में न्यूनतम 2 (दो) करोड़ रुपये के उपस्कर, कम्प्यूटर, फर्नीचर, आस्तियां, खण्ड (ख) में उल्लिखित भवनों से भिन्न अवसंरचनात्मक सुविधायें तथा अन्य उपभोज्य और गैर उपभोज्य सामग्रियां प्रतिष्ठापित करना तथा आगामी पांच वर्षों में न्यूनतम 6 (छः) करोड़ रुपये के कम्प्यूटर, फर्नीचर, आस्तिया तथा अवसंरचनात्मक सुविधायें (उपरोक्त (ख) में उल्लिखित भवन को छोड़कर)



तथा अन्य उपभोज्य और गैर उपभोज्य सामग्रियां उपाप्त करने के लिए उपक्रम प्रतिष्ठापित किया जायेगा।

- (10) प्रत्येक विभाग या शाखा में विनियामक निकायों द्वारा यथाविहित आचार्यों सह-आचार्यों तथा सहायक आचार्यों और सहायक कर्मचारिवृन्द के सदस्यों की नियुक्ति की जायेगी एवं प्रत्येक विभाग/शाखा में कम से कम पचहत्तर प्रतिशत नियमित अध्यापक विश्वविद्यालय के नियमित कर्मचारी रखना सुनिश्चित किया जायेगा।
- (11) विनियामक निकायों के मानकों के अनुसार छात्रों के लिए पाठ्यक्रमेतर गतिविधियों, पाठ्यचर्या से भिन्न गतिविधियों, वाद-विवाद प्रतियोगिताओं, प्रश्नोत्तरी कार्यक्रमों, खेल-कूदों, राष्ट्रीय सेवा योजना तथा राष्ट्रीय कैडेट कोर की व्यवस्था की जायेगी।
- (12) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, भारतीय बार काउंसिल और केन्द्र या राज्य सरकार द्वारा स्थापित अन्य विनियामक निकायों द्वारा निर्धारित मानकों एवं शर्तों का अनुपालन किया जायेगा।
- (13) विश्वविद्यालय के कर्मचारियों तथा अध्यापकों के लिए भविष्य निधि स्थापित की जायेगी तथा अन्य कल्याणकारी योजनाएं प्रारम्भ की जायेगी।
- (14) विश्वविद्यालय के प्रशासन और कार्य-प्रणाली के लिये परिनियम, अध्यादेश और विनियम 03 माह में बनाये जायेंगे।
- (15) भू-राजस्व से संबंधित अधिनियमों/नियमों/ शासनादेशों में प्रचलित विधियों एवं समय-समय पर दिये गये मा0 न्यायालयों के आदेश के अन्तर्गत यदि भविष्य में प्रायोजक संस्था द्वारा घृत भूमि की अधिकारिता/अन्तरण के सम्बन्ध में राजस्व विधि से असंगतता पायी जाती है, तो 30प्र0 राजस्व संहिता, 2006 यथा संशोधित अथवा अन्य सुसंगत राजस्व विधि में विहित प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

उपरोक्त के अतिरिक्त प्रायोजक संस्था द्वारा उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2019 की धारा 3 की उप-धारा (ट) से (द) में उल्लिखित शर्तों, जिनकी पूर्ति किये जाने के सम्बन्धी पत्र दिनांक 20-03-2023 द्वारा वचनबद्धता दी गयी थी, की पूर्ति किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।



(एम0पी0 अग्रवाल)
प्रमुख सचिव।



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, शुक्रवार, 8 दिसम्बर, 2023

अग्रहायण 17, 1945 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

विधायी अनुभाग-1

संख्या 597/79-वि-1-2023-1-क-19-2023

लखनऊ, 8 दिसम्बर, 2023

अधिसूचना

विविध

“भारत का संविधान” के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल ने उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (चतुर्थ संशोधन) विधेयक, 2023 जिससे उच्च शिक्षा अनुभाग-1 प्रशासनिक रूप से सम्बन्धित है, पर दिनांक 7 दिसम्बर, 2023 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 20 सन् 2023 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (चतुर्थ संशोधन) अधिनियम, 2023

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 20 सन् 2023)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2019 का अग्रतर संशोधन करने के लिये

अधिनियम

भारत गणराज्य के चौहत्तरवें वर्ष में एतद्वारा निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:-

1-(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (चतुर्थ संशोधन) अधिनियम, संक्षिप्त नाम और 2023 कहा जायेगा। प्रारम्भ

(2) यह दिनांक 20 अक्टूबर, 2023 से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

उत्तर प्रदेश
अधिनियम संख्या
12 सन् 2019 की
अनुसूची 2 का
संशोधन

2—उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2019 (जिसे आगे “मूल अधिनियम” कहा गया है) की अनुसूची 2 में, क्रम संख्या 36 के पश्चात् उक्त अनुसूची के स्तम्भों को निम्नानुसार संशोधित किया जायेगा और क्रम संख्या 36 के पश्चात् नवस्थापित विश्वविद्यालयों के लिये निम्नलिखित क्रम संख्या बढ़ा दी जायेंगी, अर्थात् :-

क्रम संख्या	विश्वविद्यालय का नाम	प्रायोजक निकाय का नाम
37	वरुण अर्जुन विश्वविद्यालय, शाहजहाँपुर, उत्तर प्रदेश।	वरुणार्जुन ट्रस्ट, केशलता हास्पिटल, डेलापार, बरेली, उत्तर प्रदेश।

कठिनाइयां दूर
करने की शक्ति

3—(1) राज्य सरकार, वरुण अर्जुन विश्वविद्यालय, शाहजहाँपुर, उत्तर प्रदेश की स्थापना के सम्बन्ध में किसी कठिनाई को दूर करने के प्रयोजनार्थ गजट में प्रकाशित आदेश द्वारा यह निदेश दे सकती है कि मूल अधिनियम के उपबन्ध, ऐसी अवधि, जैसा कि आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाय, के दौरान ऐसे अनुकूलनों के अधधीन उपान्तरण, परिवर्द्धन या लोप, जैसा कि वह आवश्यक या समीचीन समझे, के माध्यम से प्रभावी होंगे:

परन्तु यह कि इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के दिनांक से दो वर्ष के पश्चात् ऐसा कोई आदेश नहीं किया जायेगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, उसे किये जाने के पश्चात्, यथाशक्य शीघ्र राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों के समक्ष रखा जायेगा।

निरसन और
व्यावृत्ति

4—(1) उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (छठवां संशोधन) अध्यादेश, 2023 एतद्वारा निरसित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश
अध्यादेश
संख्या 17
सन् 2023

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या की गई कोई कार्यवाही, इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के सह प्रत्यर्थी उपबन्धों के अधीन कृत या की गई समझी जायेगी मानों इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान समयों में प्रवृत्त थे।

उद्देश्य और कारण

उच्च शिक्षा प्रदान करने हेतु उत्तर प्रदेश राज्य में नये निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना करने और विद्यमान निजी विश्वविद्यालयों को निगमित करने एवं उनके कृत्यों को विनियमित करने और उससे संबंधित या आनुषंगिक मामलों का उपबंध करने हेतु उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2019 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 12 सन् 2019) अधिनियमित किया गया है।

एक नया निजी विश्वविद्यालय अर्थात् वरुण अर्जुन विश्वविद्यालय, शाहजहाँपुर, उत्तर प्रदेश की स्थापना का उपबंध करने के उद्देश्य से पूर्वोक्त अधिनियम की अनुसूची 2 में संशोधन करने का विनिश्चय किया गया।

चूँकि राज्य विधान मण्डल सत्र में नहीं था और पूर्वोक्त विनिश्चय को कार्यान्वित करने के लिए तुरन्त विधायी कार्यवाही आवश्यक थी, अतः राज्यपाल द्वारा दिनांक 20 अक्टूबर, 2023 को उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (छठवां संशोधन) अध्यादेश, 2023 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 17 सन् 2023) प्रख्यापित किया गया।

यह विधेयक पूर्वोक्त अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिए पुरःस्थापित किया जाता है।

आज्ञा से,
अतुल श्रीवास्तव,
प्रमुख सचिव।

No. 597(2)/LXXIX-V-1-2023-1-ka-19-2023

Dated Lucknow, December 8, 2023

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Niji Vishwavidhyalay (Chaturth Sanshodhan) Adhiniyam, 2023 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 20 of 2023) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on December 7, 2023. The Ucca Shiksha Anubhag-1 is administratively concerned with the said Adhiniyam.

**THE UTTAR PRADESH PRIVATE UNIVERSITIES
(FOURTH AMENDMENT) ACT, 2023
(U.P. Act no. 20 of 2023)**

[As passed by the Uttar Pradesh Legislature]

AN

ACT

further to amend the Uttar Pradesh Private Universities Act, 2019.

IT IS HEREBY enacted in the Seventy-fourth Year of the Republic of India as follows :—

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Private Universities (Fourth Amendment) Act, 2023. Short title and commencement

(2) It shall be deemed to have come into force with effect from 20th October, 2023.

2. In Schedule-2 of the Uttar Pradesh Private Universities Act, 2019 (hereinafter referred to as the “principal Act”) *after* serial no. 36, the Columns of the said Schedule shall be amended as below and *after* serial no. 36 for the newly established Universities the following serial numbers shall be *inserted*, namely :— Amendment of schedule 2 of U.P. Act no. 12 of 2019

Sl. no.	Name of the University	Name of the Sponsoring Body
37	Varun Arjun University, Shahjahanpur, Uttar Pradesh	Varunarjun Trust, Keshlata Hospital, Delaper, Bareilly, Uttar Pradesh

3. (1) The State Government may for the purposes of removing any difficulty in relation to the establishment of Varun Arjun University, Shahjahanpur, Uttar Pradesh by order published in the *Gazette* direct that the provisions of the principal Act shall during such period, as may be specified in the order, have effect subject to such adaptations, whether by way of modification, addition or omission, as it may deem necessary or expedient: Power to remove difficulties

Provided that no such order shall be made after two years from the date of commencement of this Act.

(2) Every order made under sub-section (1) shall be laid before both Houses of the State Legislature, as soon as may be, after it is made.

Repeal and
Saving

4. (1) The Uttar Pradesh Private Universities (Sixth Amendment) Ordinance, 2023 is hereby repealed.

U.P.
Ordinance no.
17 of 2023

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the provisions of the principal Act as amended by the Ordinance referred to in sub-section (1) shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the principal Act, as amended by this Act, as if the provisions of this Act were in force at all material times.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Uttar Pradesh Private Universities Act, 2019 (U. P. Act no. 12 of 2019) has been enacted to provide for the establishment of new Private Universities and incorporation of existing private universities in the State of Uttar Pradesh for imparting higher education and to regulate their functions and for matters connected therewith or incidental thereto.

In order to provide for the establishment of a new private university namely Varun Arjun University, Shahjahanpur, Uttar Pradesh, it was decided to amend Schedule-2 of the aforesaid Act.

Since the State Legislature was not in session and immediate legislative action was necessary to implement the aforesaid decision, the Uttar Pradesh Private Universities (Sixth Amendment) Ordinance, 2023 (U. P. Ordinance no. 17 of 2023) was promulgated by the Governor on October 20, 2023.

This Bill is introduced to replace the aforesaid Ordinance.

By order,
ATUL SRIVASTAVA,
Pramukh Sachiv.

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 793 राजपत्र-2023-(2268)-599 प्रतियां-(कम्प्यूटर/टी०/ऑफसेट)।
पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 144 सा० विधायी-2023-(2269)-300 प्रतियां-(कम्प्यूटर/टी०/ऑफसेट)।